

प्रपत्र- 5

परियोजना का नाम:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-
फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण
हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना के निर्माण हेतु शासन / विभागध्यक्ष द्वारा निर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)



अधिशसी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

संख्या-2555/111-2/06-41(प्र.आ.)/06

प्रेषक,

टी० के० पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

रोवासे

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में 132(एक सौ बत्तीस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 132 कार्यों के रुपये 15401.63 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रुपये 14550.29 लाख (रुपये एक सौ पैंतालीस करोड़ पचास लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रु० 1.32 लाख (रु० एक लाख बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यदायी की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/भानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं पूर्ववेला के साथ अवश्य करा ल। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निमाण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाला सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासकीय-452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय-2 नियुक्त आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर को जमा लेने का ध्यान हो। धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन नामों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तापुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर शासकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अनियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के अधीन व्यय में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 कृत्रिम निर्माण कार्य के नामे खाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-621/XXVII(2)/2006 दिनांक 22 सितम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:- 132 कार्यों की सूची।

भरद्वार

(टी० के० पन्ना,
संयुक्त सचिव।

संख्या-255(1)/III-2/06, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. महालेखाकार (लेखा प्रधान), आंबराय भोटस विट्ठिन, नाजरा, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुनायू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुनायू/गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. परिसर कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड फ़ाइल।

ज्योती प्रती प्रजापति
सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो.नि.वि.
अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

आज्ञा से,

(टी० के० पन्ना)
संयुक्त सचिव।

109.	सीरी-सत्यग-नैल-खाकर मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	53.77	50.40	0.01
110.	दियालीखाल-मराडे-सेण का डामरीकरण	4.00	81.60	81.60	0.01
111.	मस्तुरा से दिलमी-धरौली मार्ग निर्माण	4.00	57.60	57.60	0.01
112.	नागजाई फेगु बरनाडी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित	4.00	289.50	289.50	0.01
113.	त्रियुगीनारायण-तीसी नान निर्माण सेतु सहित	6.00	148.80	148.80	0.01
114.	द्वाराहाट में गंगास नदी पर सिलिंग सेतु (दयाफेरा) नामक स्थान पर झूला पुल	50मी०	72.00	72.00	0.01
115.	द्वाराहाट में गंगास नदी पर सांगडी (चमरेत) नामक स्थान पर आर.सी.सी. पैदल पुल	20मी०	25.00	25.00	0.01
116.	कोलागढ़ मसन्दवाला मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार		90.50	90.00	0.01
117.	नगरपालिका काशीपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों में नाली व सड़क निर्माण (नगमपनघो०)		106.04	105.00	0.01
118.	चौस-कमद-पडाई-बास्ताली मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित	12.00	310.40	258.96	0.01
119.	घायखान से धारखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण द्वितीय चरण	3.00	70.96	51.23	0.01
120.	धुमा से कुण्डी मोटर मार्ग एवं मोक्ष नदी पर सेतु निर्माण सेतु सहित	4.00+ 36मी०	122.10	122.10	0.01
121.	ज्वारना से बगियाला मोटर मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण	17.00	294.48	294.48	0.01
122.	जंगलघटी से सिराणा तक मार्ग निर्माण सेतु सहित	6.00+ 15मी०	120.50	120.50	0.01
123.	बंजारवाल में मधुरविहार की गलियों का पक्कीकरण	600मी०	14.52	14.50	0.01
124.	असनाली-अणी-खण्डाह मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	7.00	120.75	120.75	0.01
125.	नगराडा से हरिनन्दा मंदिर तक मोटर मार्ग का घौनखोला तक विस्तार	2.00	35.60	35.60	0.01
126.	देवस्थल कन्नालीछीना मोटर मार्ग के किमी० 4 से 13 तक पुनः निर्माण एवं सुधार		176.00	176.00	0.01
127.	विद्यासभा बाईपास मार्ग से दून विश्वविद्यालय परिसर मार्ग तक		37.40	36.00	0.01
128.	बदीपुरा काठगोदाम में कलरिया नाले के ऊपर पैदल सेतु एवं तन्मर्ग मार्ग	20मी०	26.70	23.75	0.01
129.	हरजोली झोला में आर.सी. सी	15 मी०	21.20	21.00	0.01
130.	इकवालपुर में विभिन्न मार्गों का सी.सी. में परिवर्तन		235.80	235.80	0.01
131.	देहरादून में घन्टदनी में सेवलाकला-नाजरा को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण		2.47	2.45	0.01
132.	गुनस्थारी के भदतकोट में बसन्त कोट ग्राम के निकट सीरी नदी पर झूला पुल का सुस्थात्कृतक कार्य		3.95	3.13	0.01
कुल योग			15401.63	14550.29	1.32

(रुपये एक लाख वत्तीस हजार मात्र)

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं लो० वि० वि०
ऊखीमठ (ऊदप्रयाग)

(हस्ताक्षर पन्त)
संयुक्त सचिव।